संख्या 634 / उन्तीस(2)08–2(71पे0)टीसी / 2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।,

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल की उत्तराखण्ड पेयजल निगम देवप्रयाग शाखा के अनुरक्षणाधीन पम्पिंग पेयजल योजनाओं के वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 में सिविल कार्यो के रखरखाव हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3837 / योजना–रखरखाव / दिनांक 15.11.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अनुरक्षित की जा रहीं दो नग पम्पिंग पेयजल योजनाओं के वर्ष 2006–07 के सिविल कार्यो के रखरखाव हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये अनु0लागत रू0 94.50 लाख एंव हिण्डोलाखाल–हिंसरियाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के वर्ष 2007–08 के सिविल कार्यो के रखरखाव हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये अनु0 लागत रू0 151.65 लाख के प्राक्कलनों पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त ऑकलित की गई धनराशि कमशः रू0 51.66 लाख (रू0 इक्यावन लाख छियासठ हजार मात्र) तथा रू0 63.36 लाख (रू0 तरेसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 115.02 लाख (रू0 एक करोड पन्द्रह लाख दो हजार मात्र) के प्राक्कलनों पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 115.02 लाख (रू0 एक करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार आहरित किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय / भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.03.2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– एक मद की धनराशि का व्यय दूसरी मद में कदापि न किया जाय।

कमश: 2

5– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए–2–87(1)दस–97–17 (4)75 दिनाक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि सहित सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा। इसे कृपया कडाई से सुनिश्चित कर लिया जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

8– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिए ही अनुमन्य है, कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव रो ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

9– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के सिकी भी दशा में व्यय अनुमन्य न होगा।

10– कार्य स्वीकृत राशि तक ही सीमित रखे। अधिक्य किसी भी दशा में न किया जाय। अधिक्य के लिए निर्माण इकाई स्वयं उत्तरदाई होगा।

11– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कडाई से किया जाय।

12– कार्य की गुणवत्ता एव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। किसी भी दशा में योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन मान्य नहीं होगें।

13– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

14– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एव भू–गर्भवेता से कार्यस्थल की भलीभाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराये जाये।

15– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

16– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

17– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.08 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2– उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

क्रमश..3.

15— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0— 236 / XXVII(2) / 2008 दिनांक 29 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 635(1)/ उन्तीस(2) / 08—2(71पे0)टीसी / 2007 तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग—2 / नियोजन / राज्य योजना आयोग / बजट सेल।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव